राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः 12676 – 13481

जयपुर, दिनांकः 19.08.2026

आदेश

राज्य में नगरीय निकाय आम चुनाव–2026 माह सितम्बर में सम्पन्न होने हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के पत्रांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/6722 दिनांक 19.08.2026 द्वारा संबंधित नगरीय निकायों मे विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे है, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार सहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं।

निर्देशित किया जाता है कि "आदर्श आचार संहिता के दौरान निःशुल्क अथवा रियायती पट्टा जारी एवं संदत्त नहीं करेगें एवं किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं करेगें।" इस क्रम में शहरी सेवा शिविर में विभिन्न दरों में दी गई रियायती एवं छूट के आधार पर आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई पट्टे जारी नहीं किये जायेगें।

अतः निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के सामान्य कार्य नियमित रूप से करें जिससे आमजन को असुविधा न हो।

19.08.26
(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

19.8.26
(रवि विजय)
उप शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।

5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान ।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार,जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर./स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान ।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ।
15. समस्त प्रशासक, नगर निगम/ परिषद/पालिका, राजस्थान ।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद ध्पालिका,
17. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर/कोटा/जोधपुर।
18. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण ।राजस्थान ।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ।
20. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ।
21. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव